सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) – सतर्कता समिति
के सदस्यों को समिति के स्वरूप, महत्व, गठन, जिम्मेदारियों और
भूमिका से अवगत कराने हेतु

सहभागी प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) - सतर्कता समिति के सदस्यों को समिति के स्वरूप, महत्व, गठन, जिम्मेदारियों और भूमिका से अवगत कराने हेतु

सहभागी प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

मार्गदर्शन

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश

आकल्पन एवं संयोजन

विकास संवाद

प्रकाशन सहयोग

टीडीएच एवं बीएमज़ेड

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, विजयाराजे वात्सल्य भवन,
28-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) फोन : 0755-2550909, 2550910

सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) – सतर्कता समिति

सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) – सतर्कता समिति के सदस्यों को समिति के स्वरूप, महत्व, गठन, जिम्मेदारियों और भूमिका से अवगत कराने हेतु सहभागी प्रशिक्षण

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश

विषय सूची

- आमुख 3

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-सारणी 4
2. दिशा निर्देशिका 6
3. प्रशिक्षण की विषय-वस्तु एवं सत्र कार्य योजना 8
4. प्रशिक्षण पूर्व एवं पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र (प्री/पोस्ट फॉर्म) 14
5. प्रशिक्षण से संबंधित पठन सामग्री 15
   - सहयोगिनी मातृ समिति (सतर्कता समिति) का गठन, कार्य, जिम्मेदारी और अधिकार 15
   - समिति एवं उप समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां 19
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य बातें 24
   - अधिनियम में वर्णित योजनाएं और कार्यक्रम 24
   - अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के अधिकार 24
   - अधिनियम के अनुसार 'सतर्कता समिति' की भूमिका 25
   - सतर्कता/सामुदायिक निगरानी 26
   - सामाजिक संपरीक्षा 27

आमुख

सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना की प्रतिबद्धता को साकार करने के उद्देश्य से राज्य पोषण नीति 2020–2030 के अंतर्गत पोषण सरकार की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जाना उल्लेखित है। इस हेतु दो स्तर पर पहल किया जाना वर्णित है इनमें प्रथम अन्तर्विभागीय व्यवस्था को मजबूत करना एवं दूसरा सामुदायिक सहभागिता तथा नेतृत्व को सुदृढ़ करना सम्मलित है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (धारा 19) में प्रावधान है कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं की निगरानी के लिए सतर्कता समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां पोषण गतिविधियों/कार्यक्रमों की नियमित रूप से निगरानी करने और अधिनियम के प्रावधानों का नियमित रूप से पालन करवाने एवं पालन न होने की सूचना जिला शिकायत निवारण अधिकारी को देने के लिए अधिकृत की गई हैं। इसी प्रावधान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) के गठन का प्रावधान किया गया है।

सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) में समुदाय के प्रतिभागियों, विभागीय योजना के हितग्राहियों और अन्य विभागों के मैदानी सेवा प्रदाताओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यह समिति बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण स्वास्थ्य के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी।

सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) न केवल पूरक पोषण आहार कार्यक्रम की निगरानी करेगी बल्कि यह भी देखेगी कि गांव या बस्ती के कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें। सभी बच्चों की नियमित रूप से वृद्धि निगरानी हो, समुदाय में लैंगिक हिंसा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का निवारण हो। हर घर में पोषण वाटिका लगाई जाए, सहभागी तरीके से परिणाम मूलक सामुदायिक पोषण प्रबंधन रणनीति तैयार की जाए और समुदाय के पोषण व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आए।

सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समिति के सदस्यों को सहभागी प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक/सहजकर्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक के लिए यह सहभागी प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इस मार्गदर्शिका के प्रमुख दो उद्देश्य हैं–

1. समिति एवं उपसमिति के गठन की प्रक्रिया, उनकी भूमिका, काम और अधिकारों से परिचित कराना।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से अवगत करवाना।

विभाग आशावत है कि, सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) के सदस्यों के सशक्तिकरण की इस पहल में शामिल होने वाले स्रोत व्यक्तियों, सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों के लिए यह सहभागी प्रशिक्षण मार्गदर्शिका उपयोगी साबित होगी।

1 - प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-सारणी

समय	सत्र/विषय वस्तु	विधि/माध्यम	जिम्मेदारी
10.30–11.00 बजे	पंजीयन एवं प्रतिभागियों से प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन प्रपत्र (प्री फॉर्म) भरवाना, प्रतिभागियों का स्वागत एवं परिचय	• पंजीयन प्रपत्र में प्रतिभागियों द्वारा अपना विवरण भरा जाएगा। • प्रतिभागियों द्वारा स्वयं प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन प्रपत्र (प्री फॉर्म) भरा जाएगा। • सहजकर्ता/प्रशिक्षक दल द्वारा प्रशिक्षण का उद्देश्य बताना। • प्रतिभागियों का परिचय – प्रतिभागियों द्वारा अपना नाम गांव और समिति में भूमिका बताकर परिचय दिया जायेगा।	
11.00–12.00 बजे	ग्राम/नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की स्थिति, कारण और परिणामों का पारिस्थितिक विश्लेषण	प्रतिभागियों से संवाद और विश्लेषण–प्रतिभागियों के गांव/वार्ड में– • स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की स्थिति। • कारण और परिणामों पर प्रतिभागियों के साथ संवाद करना। • प्रतिभागियों द्वारा बताए गए बिंदुओं के आधार पर स्थिति और परिस्थितियों पर चर्चा और विश्लेषण करना।	
12.00–01.30 बजे	आंगनवाड़ी की सेवाओं में सहयोगिनी मातृ समिति की भूमिका, जिम्मेदारियां और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से परिचय	छोटे समूहों में चर्चा, प्रस्तुतिकरण और जानकारी देना • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य बातें, इसमें शामिल प्रमुख योजनाएं। • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार आंगनवाड़ी में उपलब्ध स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं। • इन सेवाओं के संचालन और निगरानी में सहयोगिनी मातृ समिति की भूमिका। • सतर्कता और सामुदायिक निगरानी। • सामाजिक संपरीक्षा।	

समय	सत्र/विषय वस्तु	विधि/माध्यम	जिम्मेदारी
01.30–02.15 बजे	भोजन अवकाश		
02.15–03.30 बजे	सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) की सदस्यता, कार्यकाल, नियमित मीटिंग और वित्तीय व्यवस्था	संवाद और जानकारी देना • सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) का कार्यकारी सदस्यों का नामांकन और कार्यकाल, मीटिंग के नियम और वित्तीय व्यवस्था के संचालन आदि प्रमुख बिंदुओं के बारे में प्रतिभागियों के साथ संवाद और उनको जानकारी देना।	
03.30–04.30 बजे	सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) द्वारा स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की सतर्कता और सामुदायिक निगरानी और सामाजिक संपरीक्षा की जानकारी	संवाद और जानकारी देना ग्राम/नगरीय क्षेत्र स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं और योजनाओं की सतर्कता एवं सामुदायिक निगरानी और सामाजिक संपरीक्षा 1. जिम्मेदारी किसकी ? 2. किन-किन सेवाओं और योजनाओं की ? 3. किन-किन बिंदुओं पर ? 4. प्रक्रिया क्या होगी ? 5. कब-कब करनी ? 6. क्या लाभ होगा ?	
04.30–04.45 बजे	प्रतिभागियों से प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र (पोस्ट फॉर्म) भरवाना	प्रतिभागियों द्वारा स्वयं प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र (पोस्ट फॉर्म) भरा जायेगा। ◆ **समापन** ◆	

2 - दिशा निर्देशिका

उद्देश्य

- सहयोगिनी मातृ समिति के सदस्य समिति के गठन, कार्य, जिम्मेदारी और अधिकारों के बारे में जानेंगे।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधान और इस कानून से जुड़ी 4 प्रमुख सेवाओं के बारे में जानकारी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित सतर्कता समिति की भूमिका, जिम्मेदारियां और अधिकार की जानकारी।
- अपने क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, वर्तमान स्थिति के कारण और परिणामों का पारिस्थितिक विश्लेषण।
- अपने ग्राम या नगरीय वार्ड में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की बेहतरी के लिए सतत् सतर्कता, निगरानी और सामाजिक संपरीक्षा (सोशल ऑडिट) की प्रक्रिया की समझ एवं कार्ययोजना निर्माण।

प्रक्रिया

- समूह चर्चा, विश्लेषण और गतिविधियों के माध्यम से अपने गांव या नगरीय वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र पर महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, इसके कारण, परिस्थिति और परिणाम आदि बिंदुओं पर चर्चा करके स्थितियों का विश्लेषण करना।
- अपने ग्राम या नगरीय वार्ड में बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के लिए सतर्कता एवं सामुदायिक निगरानी और सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया को समझाना।
- अपने ग्राम या नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की सतर्कता एवं सामुदायिक निगरानी और सामाजिक संपरीक्षा के लिए कार्य योजना तैयार करना।
- सहजकर्ता/प्रशिक्षक द्वारा अपने ग्राम या क्षेत्र की स्थितियों के अनुसार गतिविधियों के क्रम में बदलाव करना या नई गतिविधियों को जोड़ना।

प्रशिक्षण स्थल

- कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए और इसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण का स्थान, प्रशिक्षण कक्ष, स्वच्छता प्रबंध (सैनेटाईजेशन) आदि की व्यवस्थाओं को पहले से सुनिश्चित कर लें। प्रशिक्षण कक्ष का आकार कम से कम इतना बड़ा हो जिसमें प्रतिभागी सामाजिक दूरी के साथ आसानी से बैठ सकें और वहां नियत गतिविधियां की जा सकें। इसके साथ ही प्रशिक्षण स्थल में पर्याप्त खुली जगह, रोशनी एवं हवादार हो। बैठक व्यवस्था एक समान रखें।

प्रशिक्षकों की तैयारी

- सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) के सदस्यों का प्रशिक्षण एकीकृत बाल विकास परियोजना के सेक्टर पर्यवेक्षक और स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयं सेवी संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।
- प्रशिक्षण दल के सदस्यों द्वारा ग्राम/वार्ड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने से पहले प्रशिक्षण के निम्न लिखित बिंदुओं पर अपनी तैयारी की जाए। इसके साथ ही प्रमुख बिंदुओं के नोट्स या प्रस्तुतिकरण भी तैयार किया जा सकता है।
  - ❖ सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) का गठन, कार्य, जिम्मेदारी और अधिकार।
  - ❖ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य बातें।
  - ❖ सतर्कता और सामुदायिक निगरानी – क्या, क्यों और कैसे?
  - ❖ सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) के द्वारा सतर्कता और सामुदायिक निगरानी की प्रक्रिया।

प्रशिक्षण के दौरान क्या करें, क्या न करें?

क्या करें ?	क्या न करें ?
• समिति सदस्यों से सहज एवं विनम्रता से बातचीत करें।	• समिति सदस्यों के साथ कठोरता या आदेशात्मक भाषा का प्रयोग न करें।
• समुदाय की भाषा, शैली एवं शब्दों का उपयोग करें।	• ऐसे शब्दों से बचें जो लोगों की समझ में ही न आएं।
• समुदाय के तौर तरीकों, उदाहरणों, प्रकरणों, कहानियों का उपयोग चर्चा में करें।	• ऐसे उदाहरण एवं कहानियों का उपयोग न करें जो समुदाय की स्थिति से बिलकुल अलग हों और समुदाय उसे अपने से न जोड़ पाए।
• समुदाय की भावनाओं, अच्छे रीति-रिवाजों, संस्कृति का सम्मान करें।	• समिति सदस्यों की खामियों को ही न ढूंढें, रीति रिवाजों की अनदेखी न करें।
• समिति सदस्यों से गहरा जुड़ाव एवं दोस्ताना संबंध रखें ताकि लोग खुलकर अपनी बात साझा कर सकें।	• ऐसी बातें न करें जिससे लोगों को ठेस पहुंचे और वे अपने आपको अलग कर लें।
• समिति में सबके लिए सम्मान एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप व्यवहारों को प्रेरित करें।	• समुदाय में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी तरह के भेदभाव जनक व्यवहारों को बढ़ावा न दें।
• समुदाय में वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक रीतियों को बढ़ावा दें।	• समुदाय में अंधविश्वासों, कुरीतियों, कुप्रथाओं को बढ़ावा न दें।

3 - प्रशिक्षण की विषय-वस्तु एवं सत्र कार्य योजना

सत्र – 1

प्रतिभागियों का पंजीयन, स्वागत, परिचय एवं प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन प्रपत्र (प्री फॉर्म) भरवाना

समय – 30 मिनट

तरीका – संवाद और जानकारी देना

सामग्री – पंजीयन प्रपत्र, प्रशिक्षण पूर्व एवं पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र (प्री/पोस्ट फॉर्म)

निर्देश –

- सहजकर्ता/प्रशिक्षक और सभी प्रतिभागी गोल घेरे में बैठें।
- प्रतिभागियों का पंजीयन – पंजीयन प्रपत्र में प्रतिभागियों द्वारा अपना विवरण भरा जाएगा।
- सहजकर्ता/प्रशिक्षक दल के सदस्य द्वारा प्रशिक्षण का उद्देश्य बताया जाएगा।
- प्रतिभागियों का परिचय – प्रतिभागियों द्वारा अपना नाम, गांव और पद बताकर परिचय दिया जाएगा। (परिचय के लिए सहजकर्ता/प्रशिक्षक अन्य रोचक तरीका भी उपयोग कर सकते हैं)
- प्रतिभागियों द्वारा स्वयं प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन प्रपत्र (प्री फॉर्म) भरा जाएगा। इस प्रपत्र को कागज पर दोनों तरफ छपवाएं, एक तरफ प्रशिक्षण शुरू होते समय पर पूर्व मूल्यांकन प्रपत्र भरा जायेगा और प्रशिक्षण की समाप्ति के समय दूसरी ओर पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाएगा।

सत्र – 2

ग्राम/नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की स्थिति, कारण और परिणामों का पारिस्थितिक (स्थानीय परिस्थिति अनुसार) विश्लेषण

समय – 1 घंटा

तरीका – संवाद और जानकारी देना

सामग्री – चार्ट, स्केच पेन

निर्देश –

- सहजकर्ता/प्रशिक्षक और सभी प्रतिभागी गोल घेरे में बैठें।
- सहजकर्ता/प्रशिक्षक प्रश्न पूछें और प्रतिभागियों से प्राप्त जवाबों को बोर्ड या चार्ट पर लिखते जाएं।
- चर्चा पूरी होने के बाद प्रतिभागियों से प्राप्त जवाबों का विश्लेषण कर चर्चा का सार प्रस्तुत करें।
- इस चर्चा के दौरान सहजकर्ता/प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों की बात को सम्मानपूर्वक सुनें और दर्ज करें। किसी प्रतिभागी को अपनी बात कहने के दौरान न तो बीच में टोकें और न ही उनकी बात को बीच में रोकें।

सत्र में चर्चा के लिए प्रश्न/बिंदु

1. कुपोषण क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं?
2. आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं और बच्चों के लिए कौन–कौन सी पोषण सेवाएं उपलब्ध हैं?
3. आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं और बच्चों के लिए कौन–कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं?
4. क्या इन सेवाओं का लाभ सभी गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, 6 वर्ष की आयुवर्ग के सभी बच्चों और किशोरियों (11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की शाला त्यागी) को मिल रहा है?
5. कौन सी पात्र महिलाओं, बच्चों और शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं या समुदाय को आंगनवाड़ी की स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है?

6. छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को आंगनवाड़ी की स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाने के क्या कारण हैं?
7. ग्राम में सभी पात्र महिलाओं, बच्चों और किशोरियों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का लाभ दिलवाने के लिए सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) की भूमिका क्या है?

सत्र – 3 सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) की भूमिका, जिम्मेदारियां और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से परिचय

समय – 1 घंटा 30 मिनट

तरीका – छोटे समूहों में चर्चा

सामग्री – चार्ट, स्केच पेन

निर्देश –

- सहजकर्ता/प्रशिक्षक प्रतिभागी सदस्यों में से 5–5 सदस्यों के 3 या 4 छोटे समूह बनाएं।
- हर समूह में प्रतिभागियों द्वारा अपने बीच से 2 सदस्यों का चयन किया जायेगा, एक सदस्य दिए गए बिंदुओं पर चर्चा करवाने के लिए और दूसरा प्रतिभागियों द्वारा दिए गए जवाबों को चार्ट पर लिखने के लिए।
- सहजकर्ताओं/प्रशिक्षकों को ध्यान रखना होगा कि छोटे समूहों में चर्चा के दौरान सभी प्रतिभागी अपनी बात को रखें, सभी की बात को सुना जाए और लिखा जाए।
- चर्चा पूरी होने के बाद समूह के सदस्यों द्वारा अपने समूह में की गयी चर्चा का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।
- सहजकर्ता/प्रशिक्षक सभी प्रस्तुतिकरण से निकले प्रमुख बिंदुओं को नोट करें और सभी समूहों के प्रस्तुतिकरण के बाद चर्चा का सार प्रस्तुत करें।

सत्र में समूह चर्चा के लिए प्रश्न/बिंदु

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य बातें एवं इसमें शामिल प्रमुख योजनाएं क्या–क्या हैं?
2. आंगनवाड़ी की कौन–कौन सी सेवाएं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित हैं?
3. सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) में सदस्यता के लिए पात्रता क्या–क्या है? कौन–कौन लोग सदस्य हो सकते हैं?
4. सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) को किस अधिनियम/कानून के अंतर्गत सतर्कता समिति बनाया गया है?
5. सतर्कता समिति के रूप में सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) की जिम्मेदारियां और अधिकार क्या–क्या हैं?

सहयोगिनी मातृ समिति निम्नलिखित सेवाओं हेतु निगरानी एवं सहयोग करेगी

- पूरक पोषण आहार प्रदाय सेवा
- टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच
- समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन में सहयोग
- कुपोषित और गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल और पोषण की निगरानी
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलवाना

सत्र – 4 सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) की सदस्यता, कार्यकाल, नियमित बैठक और वित्तीय व्यवस्था

समय – 1 घंटा 15 मिनट

तरीका – संवाद और जानकारी देना

सामग्री – चार्ट, स्केच पेन

निर्देश –

- सहजकर्ता/प्रशिक्षक और सभी प्रतिभागी गोल घेरे में बैठें।
- सहजकर्ता/प्रशिक्षक सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) के बारे में प्रतिभागियों से प्रश्न पूछें और प्रतिभागियों से प्राप्त जवाबों को बोर्ड या चार्ट पर लिखते जाएं।
- सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) का कार्यकाल, सदस्यों का नामांकन और कार्यकाल, बैठक के नियम और वित्तीय व्यवस्था के संचालन आदि प्रमुख बिंदुओं के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दें।
- इस चर्चा के दौरान सहजकर्ता/प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों की बात को सम्मानपूर्वक सुनें और दर्ज करें। किसी प्रतिभागी को अपनी बात कहने के दौरान न तो बीच में टोकें और न ही उनकी बात को बीच में काटें। चर्चा के अंत में सही बिंदुओं का दोहराव करें।

सत्र में चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण के लिए बिंदु –

1. सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) एवं उप समिति में कितने-कितने सदस्य होते हैं?
2. सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) के पदाधिकारी, सचिव और अध्यक्ष कौन-कौन होते हैं? और इनका कार्यकाल कितना होता है?
3. सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) एवं उप समिति की मीटिंग कब-कब होती है?
4. समिति और उपसमिति में से कोई सदस्य अपनी सदस्यता कैसे छोड़ सकता है या किन स्थितियों में किसी सदस्य को सदस्यता से हटाया जा सकता है या उसकी सदस्यता शून्य हो सकती है?
5. समिति के वित्तीय व्यवहार, आय-व्यय लेखा का रख-रखाव, मीटिंग में प्रस्तुतिकरण, सामाजिक संपरीक्षा आदि के लिए क्या व्यवस्था है?

सत्र – 5

सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) द्वारा स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की सतर्कता एवं सामुदायिक निगरानी और सामाजिक संपरीक्षा की जानकारी

समय – 1 घंटा

तरीका – संवाद और जानकारी देना

सामग्री – चार्ट, स्केच पेन

निर्देश –

- सहजकर्ता/प्रशिक्षक और सभी प्रतिभागी गोल घेरे में बैठें।
- सहजकर्ता/प्रशिक्षक, सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) के द्वारा सतर्कता और सामुदायिक निगरानी की प्रक्रिया के बारे में प्रतिभागियों से प्रश्न पूछें और प्रतिभागियों से प्राप्त जवाबों को बोर्ड या चार्ट पर लिखते जाएं।
- इस चर्चा के दौरान सहजकर्ता/प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों की बात को सम्मानपूर्वक सुनें और दर्ज करें। किसी प्रतिभागी को अपनी बात कहने के दौरान न तो बीच में टोकें और न ही उनकी बात को बीच में काटें। चर्चा के अंत में सभी बिंदुओं का दोहराव करें।

सत्र में चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण के लिए बिंदु –

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं दिनांक 2 दिसम्बर 2020 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार –

1. सतर्कता और सामुदायिक निगरानी का अर्थ और इसका महत्व।
2. सामाजिक संपरीक्षा का अर्थ और इसका महत्व।
3. सतर्कता एवं सामुदायिक निगरानी और सामाजिक संपरीक्षा में सहयोगिनी मातृ समिति की भूमिका।

सत्र – 6

प्रतिभागियों से प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र (पोस्ट फॉर्म) भरवाना और समापन

समय – 15 मिनट

तरीका – प्रतिभागियों द्वारा प्रपत्र भरा जाना

सामग्री – प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र (पोस्ट फॉर्म)

निर्देश –

- सहजकर्ता/प्रशिक्षक द्वारा प्रतिभागियों से प्रशिक्षण की शुरुआत में भरे गए प्रपत्र पर ही दूसरी तरफ प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र (पोस्ट फॉर्म) भरवाया जाएगा।
- सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दें और समापन करें।

4 - प्रशिक्षण पूर्व/पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र (प्री/पोस्ट फॉर्म)

प्रशिक्षणार्थी का नाम ..... पद .....

आंगनवाड़ी केंद्र का नाम ..... गांव का नाम .....

विकासखंड ..... जिला .....

सही विकल्प पर निशान लगाएं

1. सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) का गठन किस स्तर पर किया जाता है?
   क. गांव स्तर ख. मोहल्ला स्तर ग. विकासखंड स्तर घ. आंगनवाड़ी स्तर

2. आंगनवाड़ी स्तर पर सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) में कितने सदस्य होते हैं?
   क. 10 सदस्य ख. 10–15 सदस्य ग. 12 सदस्य घ. 15–20 सदस्य

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कुल कितनी अधिकार आधारित योजनाओं को शामिल किया गया है?
   क. 2 ख. 4 ग. 6 घ. 1

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों और माताओं के लिए किए गए प्रावधान कौन–कौन से हैं?
   क. गर्म पका भोजन ख. घर ले जाने हेतु राशन ग. पोषण परामर्श सेवाएं घ. उपरोक्त सभी

5. आंगनवाड़ी में किस उम्र तक के बच्चों की वृद्धि निगरानी की जाती है?
   क. 0–5 वर्ष तक ख. 0–6 वर्ष तक ग. 0–3 वर्ष तक घ. 3–6 वर्ष तक

6. आंगनवाड़ी स्तर पर किस समिति को 'सतर्कता समिति' का दर्जा दिया गया है?
   क. सहयोगिनी मातृ समिति ख. शौर्या दल ग. वीएचएसएनसी घ. इनमें से कोई नहीं

7. सामाजिक संपरीक्षा (सोशल ऑडिट) की प्रक्रिया वर्ष में कितनी बार की जायेगी?
   क. एक ख. दो ग. तीन घ. चार

8. आंगनवाड़ी स्तर पर माह में औसतन कितने समुदाय आधारित गतिविधियों (मंगल दिवसों) का आयोजन किया जाता है? इन गतिविधियों के नाम लिखें?
   .....
   .....

9. खाद्य विविधता आधारित पोषण से आप क्या समझते हैं?
   .....
   .....

10. बच्चों में व्याप्त कुपोषण के लक्षणों को कैसे पहचाना जाता है? (कुपोषण के लक्षण)
    .....
    .....

5 - प्रशिक्षण से संबंधित पठन सामग्री

सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) - सतर्कता समिति का गठन, कार्य, जिम्मेदारी और अधिकार

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) की जरूरत क्यों?

उत्तर किसी भी योजना या कार्यक्रम में जब लाभार्थी/हितग्राही की सहभागिता बढ़ जाती है तो उस कार्यक्रम के बारे में समुदाय के लोगों में जानकारी और जागरूकता का स्तर तो बढ़ता ही है साथ ही उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी बेहतर हो जाता है और उसके परिणाम भी बेहतर मिलने लगते हैं।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में खाद्य सुरक्षा संबंधी योजनाओं में पारदर्शिता के लिए सतर्कता समिति के गठन हेतु किए गए प्रावधानों के अनुपालन में दिनांक 2 दिसंबर 2020 को आंगनवाड़ी स्तर पर सहयोगिनी मातृ समिति के गठन से संबंधित संशोधित निर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित निर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी स्तर पर संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं और सेवाओं में उपयोगकर्ता महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) और उप समितियों का गठन। उक्त निर्देश के द्वारा सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) को 'सतर्कता समिति' घोषित किया गया है।

प्रश्न आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाओं का लाभ कौन ले सकता है?

उत्तर आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध सेवाओं का लाभ गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं, 0 से 6 वर्ष आयुवर्ग तक के बच्चे और 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को मिलता है। इसके अंतर्गत इन सभी को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) का वैधानिक स्वरूप क्या है?

उत्तर शासन स्तर से दिनांक 2 दिसंबर 2020 को आंगनवाड़ी स्तर पर सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) के गठन से संबंधित संशोधित निर्देशों के अनुसार, सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक सतर्कता समिति है। यह समिति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में दिए गए कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपने क्षेत्र में आंगनवाड़ी स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की बेहतरी के लिए कार्य करेगी।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) को क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं?

उत्तर सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित 'सतर्कता समिति' का दर्जा दिया गया है। यह समिति आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों को बेहतर करने, उनमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता एवं सामुदायिक निगरानी करेगी इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं राज्य पोषण नीति 2020–30 में तय किए गए प्रावधानों के अनुसार सामाजिक संपरीक्षा का कार्य भी करेगी।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) का स्वरूप क्या होगा?

उत्तर शासन द्वारा दिनांक 2 दिसंबर 2020 को जारी किए गए आंगनवाड़ी स्तर पर सहयोगिनी मातृ समिति के गठन से संबंधित संशोधित निर्देशों के अनुसार, हर आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पर सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) का गठन किया जाएगा। इस समिति में 10 से 15 सदस्य होंगे। अति कुपोषित बच्चों के परिवार के सदस्यों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इन सदस्यों का चयन वार्ड, मोहल्ले, गांव, टोले, मजरे, फलिये आदि में गठित उप समिति के सदस्यों में से किया जाएगा। इस समिति में हर वार्ड, मोहल्ले, गांव, टोले, मजरे, फलिये आदि में गठित उप समिति में से एक–एक सदस्य आवश्यक रूप से शामिल किए जाएंगे।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) में कुल कितने सदस्य शामिल होंगे?

उत्तर संशोधित निर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी स्तरीय सहयोगिनी मातृ समिति में 10 सदस्य होंगे, लेकिन जिन स्थानों में अधिक संख्या में वार्ड, मोहल्ले, गांव, टोले, मजरे, फलिये आदि हैं उन स्थानों पर सभी स्थानों में गठित उप समितियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस समिति में सदस्यों की संख्या 10 से 15 तक हो सकती है।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) और उप समिति का कार्यकाल कितना होगा?

उत्तर सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। लेकिन इस समिति में कुछ सदस्यों का चयन चक्रीय आधार पर एक वर्ष के लिए किया जाएगा।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) में सदस्य कौन-कौन हो सकते हैं?

उत्तर आंगनवाड़ी की लाभार्थी महिला सदस्यों जैसे गर्भवती और धात्री माताएं और लाभार्थी बच्चों की माताएं या उनके परिवार की महिला सदस्यों को सहयोगिनी मातृ समिति में सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा।

समिति में सदस्यों का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा –

1. ग्राम स्तर पर वार्ड पंच या नगरीय स्तर पर वार्ड पार्षद का चयन चक्रीय आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। इस चयन में महिला पंच या पार्षद को प्राथमिकता दी जाएगी। (1 सदस्य)
2. ग्राम या नगरीय वार्ड की ऐसी सक्रिय महिला जिनकी उम्र 49 वर्ष से अधिक हो और वह आंगनवाड़ी के कार्यों में स्वेच्छा से अपना सहयोग दे सकें। इनका चयन चक्रीय आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। (1 सदस्य)
3. ग्राम या नगरीय क्षेत्र में स्थित शालाओं के शिक्षक को सदस्य के रूप में चयनित किया जाएगा। इनका चयन चक्रीय आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। इस चयन में महिला शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। (1 सदस्य)
4. ग्राम या नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तरीय अन्य विभागीय समितियों की महिला सदस्यों को सदस्य के रूप में चयनित किया जाएगा। इनका चयन चक्रीय आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। (1 सदस्य)
5. ग्राम या नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष का सदस्य के रूप में चयन किया जाएगा। एक से अधिक स्वयं सहायता समूह होने पर इनका चयन चक्रीय आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। (1 सदस्य)
6. जन्म से 03 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों की माता का चयन चक्रीय आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। (2 सदस्य)

7. 03 वर्ष से 06 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों की माता का चयन चक्रीय आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। (2 सदस्य)

8. 11 से 17 वर्ष तक आयु वर्ग की किशोरी बालिका की माता का चयन चक्रीय आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। (1 सदस्य)

9. 19 से 45 वर्ष की गर्भवती या धात्री महिलाओं का चयन चक्रीय आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। (1 सदस्य)

प्रश्न सहयोगिनी मातृ उप समिति का गठन किस स्तर पर किया जाएगा? इस समिति में कुल कितने सदस्य और पदाधिकारी शामिल होंगे?

उत्तर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में, हर वार्ड, मोहल्ले, ग्राम, टोले, मजरे, फलिये, मिनी आंगनवाड़ी क्षेत्र आदि के स्तर पर उप समिति का गठन किया जाएगा, इस समिति में कुल 10 सदस्य होंगे। चयनित सदस्यों में से 1 सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाएगा। यदि वार्ड, मोहल्ले, ग्राम, टोले, मजरे, फलिये स्तर पर मिनी आंगनवाड़ी है तो उसकी कार्यकर्ता या फिर किसी पढ़ी-लिखी महिला सदस्य को इस समिति का सचिव नियुक्त किया जायेगा।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ उप समिति में सदस्य कौन-कौन हो सकते हैं?

उत्तर वार्ड, मोहल्ले, ग्राम, टोले, मजरे, फलिये स्तर पर गठित उप समिति में लाभार्थी महिला सदस्यों जैसे गर्भवती और धात्री माताएं और लाभार्थी बच्चों की माताएं या उनके परिवार की महिला सदस्यों को सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा। इस समिति में निम्नलिखित आधार पर सदस्यों का चयन किया जाएगा-

1. ग्राम स्तर पर वार्ड पंच या नगरीय स्तर पर वार्ड पार्षद का चयन चक्रीय आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। इस चयन में महिला पंच या पार्षद को प्राथमिकता दी जाएगी। उपलब्धता के आधार पर। (1 सदस्य)

2. ग्राम या नगरीय वार्ड की ऐसी सक्रिय महिला जिनकी उम्र 49 वर्ष से अधिक हो और वह आंगनवाड़ी के कार्यों में स्वेच्छा से अपना सहयोग दे सकें। इनका चयन चक्रीय आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। (1 सदस्य)

3. ग्राम या नगरीय क्षेत्र में स्थित शालाओं के शिक्षक को सदस्य के रूप में चयनित किया जाएगा। इनका चयन चक्रीय आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जायेगा। इस चयन में महिला शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। (1 सदस्य)

4. ग्राम या नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तरीय अन्य विभागीय समितियों की महिला सदस्यों को सदस्य के रूप में चयनित किया जाएगा। इनका चयन चक्रीय आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। (1 सदस्य)

5. ग्राम या नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष का सदस्य के रूप में चयन किया जायेगा। एक से अधिक स्वयं सहायता समूह होने पर इनका चयन चक्रीय आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। (1 सदस्य)

6. जन्म से 03 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों की माता का चयन चक्रीय आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। (2 सदस्य)

7. 03 वर्ष से 06 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों की माता का चयन चक्रीय आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। (2 सदस्य)

8. 11 से 17 वर्ष तक आयु वर्ग की किशोरी बालिका की माता का चयन चक्रीय आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। (2 सदस्य)

9. 19 से 45 वर्ष की गर्भवती या धात्री महिलाओं का चयन चक्रीय आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। (2 सदस्य)

समिति एवं उप समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) और उप समिति की आंगनवाड़ी से मिलने वाले पोषण आहार से संबंधित भूमिका और जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं?

उत्तर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) ही 'सतर्कता समिति' के रूप में कार्य करेगी। समिति द्वारा पोषण आहार की निगरानी के संबंध में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे –

1. आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार, टेक होम राशन (टी.एच.आर.) के साप्ताहिक वितरण की निगरानी करना।

2. साझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी में मिलने वाला नाश्ता, गर्म पका भोजन, और कुपोषित बच्चों के लिए तीसरा भोजन (थर्ड मील) की निरंतरता, मात्रा और गुणवत्ता की निगरानी करना।

3. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मोटे अनाज/मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

4. आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले नाश्ता और ताजा गर्म पके भोजन को पौष्टिक और रुचिकर बनाने के लिए समूहों को सुझाव देना और जन सहयोग प्राप्त करना।

5. सभी पात्र लाभार्थियों को टेक होम राशन/गर्म पका भोजन प्राप्त हो इसकी निगरानी करना।

6. पौष्टिक भोजन के बारे में परिवार को जागरूक करना और परिवार के सदस्यों को पोषण शिक्षा देने में सहयोग करना।

7. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) के पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन/पंजीयन तथा उन्हें लाभ दिलाने में सहयोग करना।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति और उप समिति की टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच से संबंधित भूमिका और जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं?

उत्तर आंगनवाड़ी केंद्र में माताओं और बच्चों के टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच के लिए यह समिति निम्न कार्य करेगी –

1. आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच के लिए पात्र हितग्राहियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना।

2. गंभीर कुपोषित बच्चों के समेकित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम की सतत निगरानी एवं क्रियान्वयन (चिन्हांकन/गृहभेंट/पोषण संवाद) हेतु आवश्यक सहयोग करना।

3. पोषण पुनर्वास केंद्र के लिए संदर्भित किए गए बच्चों को इलाज के लिए जाने हेतु प्रेरित करना।

4. आंगनवाड़ी स्तर पर हितग्राहियों जैसे बच्चे, गर्भवती, धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं आदि की सूची तैयार करने में सहयोग करना।

5. क्षेत्र की महिलाओं को गर्भधारण के बाद आंगनवाड़ी केंद्र और ए.एन.एम. के पास त्वरित पंजीयन कराने के लिए प्रेरित करना ताकि गर्भधारण के तुरंत बाद से ही पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जा सकें।

6. टीकाकरण दिवस के आयोजन में सहयोग करना और छूटे हुए हितग्राहियों की पहचान कर टीकाकरण के लिए प्रेरित करना।

7. उन हितग्राहियों की सूची तैयार करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद करना जो सेवाओं के लाभ से छूट गए हैं।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) और उप समिति की समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन में क्या-क्या भूमिका और जिम्मेदारियां हैं?

उत्तर आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित समुदाय आधारित गतिविधि जैसे- गोद भराई, अन्नप्राशन दिवस, बाल चौपाल, किशोरी बालिका दिवस और सुपोषण दिवस के साथ-साथ विश्व स्तनपान सप्ताह, पोषण माह, राष्ट्रीय किशोरी बालिका सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बाल दिवस एवं माहवारी स्वच्छता दिवस, पोषण पखवाड़ा आदि कार्यक्रमों में सहयोग करना। ग्राम/नगरीय वार्ड को कुपोषण से मुक्त रखने हेतु तैयार ग्राम/नगरीय वार्ड स्तरीय पोषण प्रबंधन रणनीति के क्रियान्वयन में सहयोग, पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने में सहयोग, टीकाकरण सत्र, पोषण सत्रों में समुदाय के लोगों को भागीदारी आदि के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) और उप समिति की कुपोषित और गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल और पोषण स्तर की निगरानी में क्या-क्या भूमिका और जिम्मेदारियां हैं?

उत्तर कुपोषित और गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल और पोषण स्तर की निगरानी में सहयोगिनी मातृ समिति और उप समिति की निम्न भूमिका और जिम्मेदारियां हैं –

1. क्षेत्र में कुपोषित और गंभीर कुपोषित बच्चों की जानकारी प्राप्त करना और इनकी सूची बनवाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग करना।

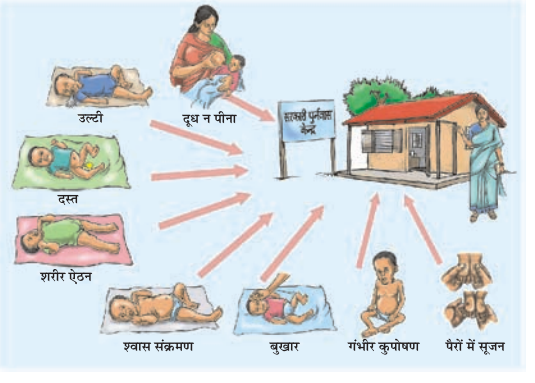

2. गंभीर कुपोषित और बीमार बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए अस्पताल और पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने हेतु परिवार के सदस्यों को प्रेरित करना और आशा और ए.एन.एम. का सहयोग करना।
3. जो हितग्राही परिवार आंगनवाड़ी की सेवाओं का उपयोग नहीं करते या अनियमित आते हैं उन हितग्राहियों की पहचान करना और आंगनवाड़ी की सेवाओं के नियमित लाभ लेने के लिए प्रेरित करना।
4. गंभीर कुपोषित बच्चों और उच्च जोखिम (हाई रिस्क) गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की जाने वाली गृहभेंट में सहयोग करना और समझाइश देना।
5. गर्भवती एवं धात्री माताओं में पौष्टिक भोजन आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम, गोलियों का सेवन, टीकाकरण के लिए समझाइश देना।
6. आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित कार्यक्रमों जैसे स्तनपान सप्ताह, पोषण माह, योग दिवस आदि में सक्रिय सहभागिता करना।

7. समुदाय को खाद्य विविधता आधारित पोषण के बारे में समझाइश देना और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मोटे अनाज (मिलेट्स) के उपयोग हेतु समुदाय को प्रेरित करना।

8. घर/परिवार स्तर पर अथवा सामूहिक रूप से पोषण वाटिका स्थापित करने तथा उसमें उत्पादित फल एवं सब्जियों के उपयोग हेतु सतत् परामर्श देना।

9. कोविड संक्रमण एवं मौसमी बीमारियों जैसे दस्त, मलेरिया, बुखार, निमोनिया, आदि से बचाव के लिए समुदाय के लोगों को जागरूक करना और आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से प्राथमिक उपचार में सहयोग करना।

10. आंगनवाड़ी में हर महीने होने वाली बच्चों की शारीरिक माप (वजन, लंबाई/ऊंचाई) और वृद्धि निगरानी के बारे में परिवार के सदस्यों को जानकारी देना और जागरूक करना।

11. जीवन के आरंभिक 1000 अनमोल दिवस से संबन्धित सेवाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार में सहयोग करना तथा मदर सपोर्ट ग्रुप की बैठकों में शामिल होकर आशा का सहयोग करना।

12. गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव तथा बच्चे के जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान सुनिश्चित करने हेतु परिवार को समझाइश देना एवं 6 माह तक केवल स्तनपान हेतु सतत निगरानी एवं परामर्श आदि कर समुदाय में जागरूकता करना।

13. 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों को ऊपरी आहार प्रारम्भ करने तथा 2 वर्ष की आयु तक ऊपरी आहार के साथ स्तनपान जारी रखने, बच्चे के ऊपरी आहार की मात्रा, बारंबारता एवं गाढ़ेपन से संबंधित आवश्यक परामर्श परिवार को देना।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) और उप समिति की बैठक कब-कब होगी?

उत्तर सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) और उप समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी। लेकिन जरूरत पड़ने पर उप समिति की बैठक तय समय के अलावा भी की जा सकती है। समिति और उप समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण या रिकॉर्ड उनके स्तर पर ही रखा जाएगा।

प्रश्न किसी सदस्य की समिति या उप समिति की सदस्यता कब समाप्त हो सकती है?

उत्तर किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त हो सकती है –

1. यदि कोई सदस्य किन्हीं कारणों से या स्वेच्छा के कार्य नहीं कर पाए या वह खुद समिति की सदस्यता छोड़ दे।

2. यदि कोई सदस्य लगातार 3 या 5 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है।

3. यदि कोई सदस्य किसी सरकारी या गैर सरकारी पद पर कार्यरत हो तो।

4. किसी सदस्य के जन–प्रतिनिधि के रूप में चयन होने पर सदस्यता स्वत: शून्य हो जाएगी।

प्रश्न सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख कैसे की जायेगी?

उत्तर सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) के नाम से बैंक में खाता खोला जाएगा। इस खाते में समिति को प्राप्त होने वाली राशि जमा की जाएगी। खाते का संचालन समिति की अध्यक्ष और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सचिव) द्वारा किया जाएगा। समिति को प्राप्त और व्यय राशि का लेखा–जोखा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा। समिति के खाते में प्राप्त और खर्च राशि का ब्यौरा हर तीन माह में अध्यक्ष और सचिव द्वारा समिति के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और साल में एक बार सामाजिक संपरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। समिति को यदि कोई दान या सहयोग समुदाय से प्राप्त होता है तो उसका प्राप्ति और वितरण का हिसाब किताब अलग से रखा जाएगा।

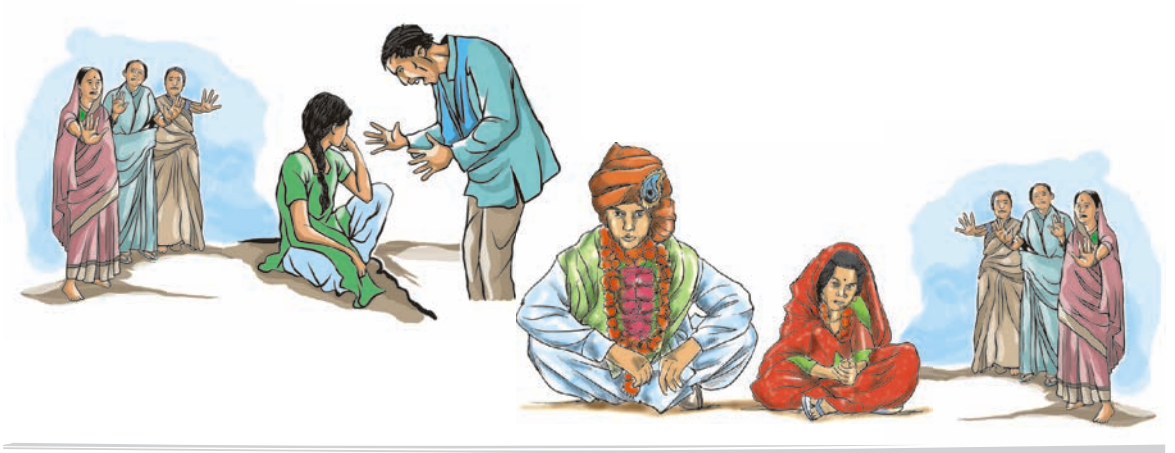

6 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य बातें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख है कि

> संविधान के अनुच्छेद 47 में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में भी, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, सभी राज्य पक्षकारों पर प्रत्येक व्यक्ति के पर्याप्त खाद्य अधिकार को मान्यता देने का उत्तरदायित्व डाला गया है। अत्यंत गरीबी और भूख का जड़ से उन्मूलन करना, संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दिक विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है।

इस दृष्टिकोण से वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। इसकी उद्देशिका में कहा गया है कि *'जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्र में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की सुलभता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के अधिनियम'।*

अधिनियम में वर्णित योजनाएं और कार्यक्रम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्न लिखित योजनाओं को शामिल किया गया है –

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
2. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम
3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना/मातृत्व लाभ
4. मध्यान्ह भोजन योजना

अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के अधिकार

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। (धारा 3)
2. समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को नि:शुल्क पूरक पोषण आहार और कम से कम रुपये 6 हजार का प्रसूति लाभ उपलब्ध करवाना। (धारा 4)
3. 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु के समुचित नि:शुल्क पूरक पोषण आहार उपलब्ध करवाना। (धारा 5)

4. 06 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाएगा। (धारा 5)

5. कुपोषित बच्चों की पहचान करना और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप नि:शुल्क पूरक पोषण आहार उपलब्ध करवाना। (धारा 7)

6. प्रत्येक आंगनवाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं होंगी और शहरी क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केंद्रीयकृत रसोईघर की सुविधा का उपयोग किया जा सकेगा। (धारा 5)

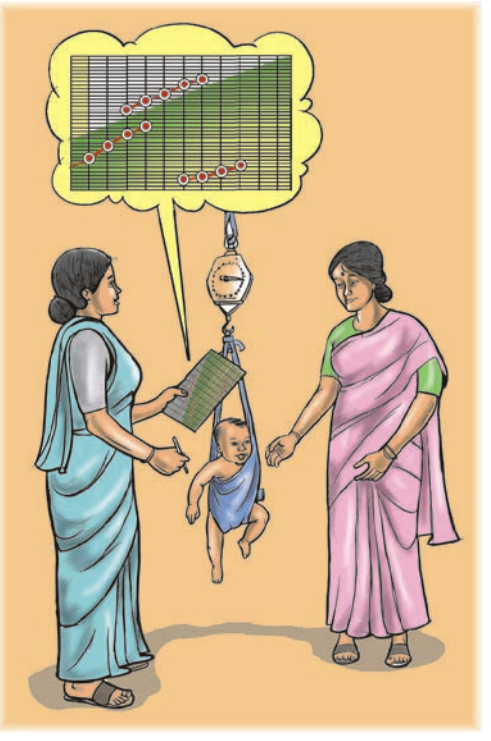

7. पात्र व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन न मिलने की दशा में खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का अधिकार होगा। (धारा 8)

8. प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र (काल सेंटर, हेल्पलाइंस, नोडल अधिकारी की नियुक्ति) स्थापित करेगी। (धारा 14)

9. राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम की योजनाओं से संबंधित शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निराकरण के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त या पदाभिहित करेगी। (धारा 15)

10. राज्य सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी और पुनर्विलोकन के लिए राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। (धारा 16)

अधिनियम के अनुसार 'सतर्कता समिति' की भूमिका

खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, मातृ और बाल मृत्यु एवं एनीमिया आदि समस्याओं से निपटने के लिए राज्य निरंतर प्रयासरत है एवं इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू किया गया है। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि, अधिनियम में वर्णित योजनाओं और कार्यक्रमों (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी सेवाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना/मातृत्व लाभ, मध्यान्ह भोजन योजना) के क्रियान्वयन की निगरानी समुदाय खुद करे। इसी उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है।

खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किये गए इस अधिनियम के परिणामदायक क्रियान्वयन के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित अध्याय में सामाजिक सतर्कता समितियों के गठन, सतर्कता एवं सामुदायिक निगरानी और सामाजिक संपरीक्षा के प्रावधान किये गए हैं –

1. प्रत्येक राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार सतर्कता समितियों का गठन करेगी। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित या नि:शक्त व्यक्तियों को सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये समितियां इस अधिनियम में शामिल सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगी, यदि कोई उल्लंघन या अनाचार या निधियों (धन) का गलत उपयोग पाया जाता है तो ये समितियां जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करेंगी। (धारा 29)

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में स्पष्ट रूप से ऐसे प्रावधान किये गए हैं, जो आंगनवाड़ी सेवा की सामाजिक संपरीक्षा और सामुदायिक निगरानी की व्यवस्था (सतर्कता समिति) के लिए शासन स्तर से इस संबंध में दिशा निर्देश और जवाबदेहिता तय करने के लिए प्रेरित करते हैं।

सतर्कता/सामुदायिक निगरानी

सामुदायिक निगरानी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम सब अपने दैनिक जीवन में अपने सभी कामों में सतत निगरानी रखते हैं ताकि उस काम का सही परिणाम हासिल कर सकें। पढ़ाई हो, परीक्षा पास करके नौकरी पाना हो, घर बनाना हो, खेती का काम हो या व्यवसाय, सभी में हम निगरानी करते हैं।

इसी तरह जब हम सार्वजनिक सेवाओं या सुविधाओं, सामुदायिक व्यवहारों पर नजर रखते हैं तो इसे सामुदायिक निगरानी कहते हैं, चूंकि यह सभी के लिए है अत: यह सबकी जिम्मेदारी है कि सब मिलकर इस व्यवस्था एवं प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी करें, ताकि व्यवस्था ठीक ढंग से चले और इसका लाभ समुदाय को मिले और कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।

सामुदायिक सहभागिता से पोषण कार्यक्रमों एवं सामुदायिक व्यवहारों पर नजर रखना तथा कुपोषण की स्थिति में सुधार लाना ही सामुदायिक निगरानी का मुख्य उद्देश्य है।

सामुदायिक निगरानी की प्रक्रिया आंगनवाड़ी स्तर पर सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.)–सतर्कता समिति द्वारा संचालित की जाएगी। ब्लॉक एवं जिले स्तर पर इस समिति को सेक्टर सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ सहयोग करेंगे। सामुदायिक निगरानी प्रक्रिया को संचालित करने हेतु सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।

सतर्कता समिति द्वारा समय–समय पर सामुदायिक निगरानी प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। समुदाय, आंगनवाड़ी

कार्यकर्ता मिलकर निगरानी के बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे एवं जरूरी सुधार करेंगे। इस जानकारी के आधार पर तैयार प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत एवं सीडीपीओ को प्रस्तुत की जाएगी। ग्राम पंचायत एवं सीडीपीओ द्वारा कार्यवाही न होने पर समिति द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में शिकायत दर्ज कराई जाएगी

सामाजिक संपरीक्षा

सामाजिक संपरीक्षा को हम सामाजिक अंकेक्षण, सोशल आडिट आदि नाम से भी जानते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा समुदाय के लिए लागू व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सकता है और सार्वजनिक योजनाओं और संस्थाओं पर लोगों द्वारा नजर रखी जा सकती है ताकि समाज के सभी तबकों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत शामिल सभी योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा किए जाने का प्रावधान है। कानून की (धारा 20) में उल्लेख है कि *'सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें समुदाय किसी कार्यक्रम या योजना और क्रियान्वयन को सामूहिक रूप से निगरानी और उसका मूल्यांकन करता है'।* कानून के तहत प्रदेश में आंगनवाड़ी सेवा एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को शामिल किया गया है।

प्रदेश में पोषण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को प्रोत्साहित करना और इसके माध्यम से कुपोषण की स्थिति को सुपोषण की स्थिति में बदलना ही इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है।

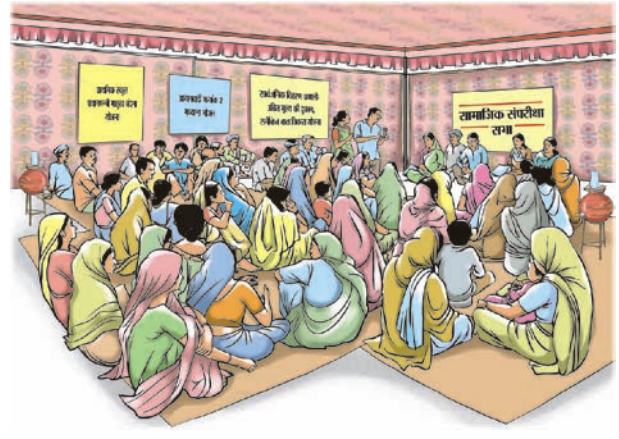

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया आंगनवाड़ी स्तर पर सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) – सतर्कता समिति द्वारा स्थानीय निकाय (पंचायत/नगरीय निकाय) के सहयोग से संचालित की जाएगी। विकासखंड एवं जिला स्तर पर इस समिति को सेक्टर सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डी.पी.ओ. सहयोग करेंगे। प्रक्रिया को संचालित करने हेतु सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.) की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।

सतर्कता समिति द्वारा सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। समुदाय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिलकर निगरानी के बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे एवं आवश्यक सुधार करेंगे। इस जानकारी के आधार पर तैयार की गयी रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत एवं सीडीपीओ को प्रस्तुत की जाएगी। ग्राम पंचायत एवं सीडीपीओ द्वारा कार्यवाही न होने पर समिति द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में शिकायत दर्ज करायी जाएगी।

हमारी योजना

पोषण समृद्ध समुदाय के लिए 10 बिंदु

1. जीवन के प्रारम्भिक 1000 दिवस में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और शिशु की विशेष और प्रतिबद्ध देखभाल, बच्चों की नियमित वृद्धि निगरानी, मध्यम एवं अति गंभीर कुपोषण का समेकित प्रबंधन।
2. सभी के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्धता और स्वच्छता।
3. पोषण के विविध पहलुओं (स्थानीय उपज को प्रोत्साहन, 10 खाद्य समूहों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, उचित सामाजिक व्यवहार आदि) पर सहभागी सीख और कार्यवाही की तकनीक आधारित सामुदायिक सशक्तिकरण की पहल।
4. पोषण निगरानी और सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक बदलाव के लिए सहयोगिनी मातृ समिति (एस.एम.एस.), ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति और शौर्या दल की प्रभावी भूमिका।
5. स्थानीय निकायों/चुने हुए जनप्रतिनिधियों की प्रभावी और जिम्मेदार भूमिका।
6. सामाजिक संपरीक्षा एवं सामुदायिक निगरानी की प्रभावी व्यवस्था।
7. समुदाय में कुपोषण की वास्तविक स्थिति का आंकलन और कुपोषण निवारण के लिए पोषण केंद्रित ग्राम एवं पंचायत विकास योजना का निर्माण।
8. एकीकृत और स्थाई कृषि व्यवस्था (खाद्य विविधता को बढ़ावा, पशुपालन, पोषण बाड़ी–उद्यानिकी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, वन उपज आदि) की समुदाय केंद्रित पहल।
9. स्थानीय समुदाय के अनुरूप पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित सही और अधिकृत जानकारी का प्रसार।
10. शासकीय व्यवस्था के तहत अन्तर्विभागीय समन्वय, कार्य योजना बनाना, क्रियान्वयन और समीक्षा करना।

सहयोग

VIKAS SAMVAD

terre des hommes
Help for Children in Need

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT